न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस

अपील सं. 1/2017/अपील

सुलतानसिंह उर्फ घीसूसिंह पुत्र रामूसिंह उम्र रामसिंह जाति राजपूत आयु 42 साल निवासी ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–अपीलार्थी

ब ना म

1. ग्राम पंचायत, पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

– रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध ना.करण सं. 1454 दिनांक 16.06.1981 विरूद्ध ग्राम पंचायत, पलसाना अं.धारा 75 आर.एल.ऐक्ट

उपस्थिति–

1. श्री योगेश शर्मा वकील अपीलार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक– 28.08.2017

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में कृषि भूमियां इस प्रकार से अवस्थित है कि खाता सं. नया 201 वर्तमान खसरा नं. 1082 रकबा 0.45 है0, 1084 रकबा 0.30 है0 किता 2 कुल रकबा 0.75 है0 है जिसके पुराने खसरा नं. 44/2 व 44/3 है। खाता सं. 175 के खसरा नं. 1093/1 रकबा 0.65 है0 जिसके पुराने खसरा नं. 44 मि0 है। इसी प्रकार खाता सं. 204 के खसरा नं. 3567 रकबा 0.03 है0, 3568 रकबा 2.15 है0, 3569 रकबा 0.30 है0 किता 3 कुल रकबा 2.48 है0 अवस्थित है जिसके पुराने खसरा नं. 815, 814, 816 है जो अपीलांट की पैतृक कृषि भूमियां है। उक्त वर्णित कृषि भूमि पूर्व में अपीलांट के पिता रामूसिंह उर्फ रामसिंह पुत्र नंदसिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज रही है तथा उसका कब्जा काश्त खातेदारी रही है। अपीलांट के पिता के निधन के पश्चात् जब विरासत का ना.करण भरा तो अपीलांट का निकनेम घीसू बता दिया गया तथा उक्त नांकरण घीसूसिंह पुत्र रामसिंह के नाम से अंकन हो गया। जबकि अपीलांट का सही नाम सुल्तानसिंह पुत्र रामूसिंह उर्फ रामसिंह है तथा अपीलांट का सभी दस्तावेजों में यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, बैंक पास बुक सभी में सुल्तानसिंह पुत्र रामूसिंह उर्फ रामसिंह दर्ज है। घीसूसिंह व सुल्तानसिंह एक ही व्यक्ति है तथा अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में घीसूसिंह रहने के कारण अपीलांट को काफी

उपखण्ड अधिकारी,दाँतारामगढ

Scanned by CamScanner

नुकसान हो रहा है इसलिए अपीलांट उक्त गलत रूप से भरे ना.करण को निरस्त करवाने का अधिकारी है तथा सही नाम सुल्तानसिंह पुत्र रामूसिंह उर्फ रामसिंह के नाम से अंकन करवाने का अधिकारी है। अपीलांट ने हल्का पटवारी से किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु पटवारी से उक्ज जमाबंदी की नकल दिनांक 04.01.2017 को प्राप्त की तो अपीलांट को सर्वप्रथम अपने उक्त गलत नाम अंकन होने का ज्ञान हुआ इसलिए जानकारी से अपील अंदर मियाद है तथा कानूनन किसी भी दस्तावेज को चुनौती देने हेतु कोई समय सीमा नहीं है। फिर भी अपीलांट द्वारा परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत दफा 5 का आवेदन अलग से पेश किया जा रहा है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपीलग्रस्त ना.करण निरस्त कर रेस्पो. को आदेशित किया जावें कि अपीलांट का सही नाम सुल्तानसिंह पुत्र रामूसिंह उर्फ रामसिंह के नाम से अपील की मद सं. 1 में वर्णित कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है। अपीलांट ने अपने नाम के समर्थन में ग्राम पंचायत, पलसाना द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड, बैंक पास बुक व परिवार राशन कार्ड की फोटो प्रतियां पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 1 ता 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. बहस अपीलांट के योग्य अभिभाषक की सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील मेमो के तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार कर विवादित ना.करण सं. 1454 दिनांक 16.06.1981 बतस्दीक ग्राम पंचायत, पलसाना निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट का नाम घीसूसिंह के स्थान पर सुल्तानसिंह पुत्र रामूसिंह उर्फ रामसिंह किया जाना उचित है। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में ग्राम पंचायत, पलसाना द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड, बैंक पास बुक व परिवार राशन कार्ड की फोटो प्रतियां पेश की गई है।

4. हमने अपीलांट के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। ना.करण सं. 1454 दिनांक 16.06.1981 बतस्दीक ग्राम पंचायत, पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा स्वीकृत किया गया है। विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु आवेदन मियाद अधिनियम का पेश किया गया है। ग्राम पंचायत, पलसाना द्वारा जारी विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन मय शपथ पेश किया गया है इसलिए विलम्ब की अवधि को कण्डोन किया जाता हैं। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में ग्राम पंचायत, पलसाना द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड, बैंक पास बुक व परिवार राशन कार्ड की फोटो

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

प्रतियां पेश की गई है के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट का वास्तविक नाम सुल्तानसिंह पुत्र रामूसिंह उर्फ रामसिंह है परिवार के निकनेम घीसूसिंह का नाम राजस्व अभिलेख विरासत ना.करण में दर्ज हो गया है। ग्राम पंचायत पलसाना द्वारा प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि घीसूसिंह व सुल्तानसिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। अन्य दस्तावेजात राशन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, बैंक पास बुक व पेनकार्ड में उपरोक्त विवरण के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ना.करण सं. 1454 दिनांक 16.06.1981 बतस्दीक ग्राम पंचायत, पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर खारिज किया जाता है तथा प्रकरण उप तहसीलदार, पलसाना जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट का नाम घीसूसिंह पुत्र रामसिंह के स्थान पर सुल्तानसिंह पुत्र रामूसिंह उर्फ रामसिंह कर नियमानुसार पुनः ना.करण भरवाकर तस्दीक करें।

5. यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner